





भारत सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कार्मिक प्रभाग प्रशासन अनुभाग Government of India Bhabha Atomic Research Centre Personnel Division Administration Section

टेली नं./Tel. No.: 022-2559 5070

फैक्स नं./FAX No.: 022-2550 5151

ई-मेल/E-mail: deoadmn@barc.gov.in

सं/.Ref: 32(1)/2016/Admn/1387

सेंट्रल कांप्लेक्स/Central Complex,

ट्रांबे/Trombay

मुंबई/Mumbai - 400 085

जनवरी /January 28 ,2022

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति । Subject : Reimbursement of cost of COVID-19 vaccine to CHSS beneficiaries.

यह उपर्युक्त विषय पर इस अनुसंधान केंद्र के टिप्पण संख्या 32(1)/2016/प्रशासन-1/1354 दिनांकित 20/12/2021 (प्रति संलग्न) के क्रम में है ।

This is in continuation of this Research Centre's Note no. 32(1)/2016/Admn-I/1354 dated 20/12/2021(copy enclosed) on the subject cited above.

2. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/परिवार पेंशनरों के लिए दिनांक 30/08/2021 के कार्यालय ज्ञापन के तहत वेक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु प्रयोज्यता के बारे में स्पष्टीकरण के लिए मामले को पऊवि भेजा गया था। पऊवि ने दिनांक 07/01/2022 की अंतरविभागीय टिप्पणी सं. IR&W-201(12)/15/2021/285 के माध्यम से अब यह स्पष्ट किया है

The matter was referred to DAE for clarification about the applicability of cost of vaccine to the Retirees/family pensioners for reimbursement under the OM dated 30/08/2021. DAE vide ID Note no. IR&W-201(12)/15/2021/285 dated 07/01/2022 has now clarified

"यह दोहराया जाता है कि दिनांक 30 अगस्त, 2021 का पऊवि कार्यालय ज्ञापन सं. 201(12)/15/ 2021/IR&W/10141 सीएचएसएस लाभार्थियों को वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन ज्ञापित करता है। अत: उक्त कार्यालय ज्ञापन के अधीन समस्त सीएचएसएस लाभार्थियों को शामिल करने एवं प्रतिपूर्ति हेतु विचार किया जाए।"

"it is reiterated that the DAE OM No. 201(12)/15/2021/IR&W/10141, dated August 30,2021 conveys approval of Competent Authority for reimbursement of cost of vaccines to CHSS beneficiaries .Therefore ,all CHSS beneficiaries may be covered and considered for reimbursement under the said OM"

3. इसके परिणामस्वरूप, भापअ केंद्र का परिपत्र सं. 32(1)/2016/Admn-I/1354 दिनांकित 20/12/2021 सीएचएसएस के अधीन नामांकित सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों/परिवार पेंशनभोगियों के लिए लागू है।

Consequently, BARC's circular no. 32(1)/2016/Admn-I/1354 dated 20/12/2021 is applicable to all retirees/family pensioners who are enrolled under CHSS.

4. पऊवि द्वारा अनुमोदित वेक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु भापअ केंद्र के

सेवानिवृत्त कर्मचारियों/परिवार पेंशनरों द्वारा निम्नलिखित पद्धिति का पालन किए जाए :

In order to facilitate the reimbursement of cost of vaccine as approved by DAE, the following procedure to be followed by Retirees of BARC/ family pensioners, etc is given below:

4.1 ऐसे सभी सीएचएसएस लाभार्थी जिन्होंने बाहरी अस्पतालों/औषधालयों से भुगतान के आधार पर वेक्सीन ली है वे क्रय तथा दावा पद्धित के अनुसार प्रतिपूर्ति हेतु, अपना दावा निम्नलिखित संलग्नकों के साथ यथादेय भुगतान हेतु सहायक लेखा अधिकारी, (आयुर्विज्ञान प्रभाग) को सीधे (डाक द्वारा) प्रेषित करें:

All CHSS beneficiaries who have taken the COVID-19 vaccines from outside hospitals/dispensaries on payment basis are required to submit the claim as per Purchase and Claim procedure along with the following enclosures for reimbursement to AAO(Medical Section), BARC directly (by post) for reimbursement as admissible:

> वैध सीएचएसएस कार्ड की प्रति/ Copy of valid CHSS card,

 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी पहली तथा दूसरी डोज कोविड टीकाकरण का प्रमाणपत्र।

Certificate of COVID-19 vaccination-1st/ 2nd dose issued by the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi on COWIN website and

> नकद रसीद/ Cash receipt.

5. टीकाकरण की प्रतिपूर्ति हेतु दावा दिनांक 31/03/2022 या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।
The reimbursement of vaccination should be claimed on or before 31/03/2022.

6. भापअ केंद्र के सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के सभी प्रशासन अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिवों से अनुरोध है कि वे यह जानकारी अपने वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं।

All AO-IIIs/APOs/Sr.PS in Groups/Divisions/Sections of BARC are requested to bring this to the notice of all the concerned employees in their Groups/Divisions/ Sections

7. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the approval of Competent Authority.

(के.के. डांगे / K. K. Dange)

उप स्थापना अधिकारी /Deputy Establishment Officer

संलग्नक:यथोपरि / Encl: as above

वर्गों के निदेशक/सह निदेशक/ नियंत्रक, भापअ केंद्र
Directors of Groups/Associate Directors of Groups/Controller, BARC
प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, भापअ केंद्र/ Heads of Divisions/Sections in BARC
आंतरिक वित्त सलाहकार, भापअ केंद्र / IFA, BARC
वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रशासन अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव
AO-IIIs/APOs/Sr.Ps in Groups/Divisions/Sections.

प्रतिलिपि Copy to:	1) मुंबई स्थित पऊवि की सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान/ All administrative Heads of Mumbai based DAE units	-आवश्यक कार्रवाई तथा सूचना हेतु -for information & necessary action
	2) अध्यक्ष, एसआईआरडी/Head, SIRD	- भापअ केंद्र के वेबसाईट के पेंशनर कॉर्नर पर इस परिपत्र को अपलोड करने के अनुरोध के साथ - with a request to kindly upload the circular on BARC website - Pensioners corner
	3) महा सचिव, एईडब्ल्यूएंडएसयू, भापअ केंद्र General Secretary, AEW&SU,BARC	- सूचना हेतु / for information
	4) अध्यक्ष, एईआरडब्ल्यूए/President, AERWA	- सूचना हेतु/ for information



(☎022-22862703) ई-मेल/e-mail-<u>irw@dae.gov.in</u> फैक्स/Fax No. - 2204 8476 & 22824354



भारतसरकार GOVERNMENT OF INDIA परमाणुऊर्जाविभाग DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY औ. सं. एवंक. अनुभागाह&w SECTION



अणुशक्तिभवन Anushakti Bhavan, छ. शि. म. मार्ग C.S.M. Marg, मुंबई/Mumbai – 400 001

Subject: Reimbursement of COVID- 19 Vaccine to CHSS beneficiaries - Reg.

BARC may refer to ID Note No.32(1)/2016/Admn-I/I/9895 dated December 28, 2021 on the subject matter.

In this regard it is reiterated that the DAE OM No. 201(12)/15/2021/IR&W/10141, dated August 30, 2021 conveys approval of Competent Authority for reimbursement of cost of vaccines to CHSS beneficiaries. Therefore, all CHSS beneficiaries may be covered and considered for reimbursement under the said OM.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Meena Anil) Under Secretary (IR&W)

Shri. K.K Dange, Deputy Establishment Officer, BARC, Personnel Division, Central Complex, Mumbai – 400 085

DAE ID Note No. IR&W-201(12)/15/2021 285

January 7, 2022







भारत सरकार भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कार्मिक प्रभाग प्रशासन अनुभाग Government of India Bhabha Atomic Research Centre Personnel Division Administration Section

टेली नं./Tel. No.: 022-2559 5070 फैक्स नं./FAX No.: 022-2550 5151

ई-मेल/E-mail : deoadmn@barc.gov.in

सं./Ref: 32(1)/2016/Admn-I/1354

सेंट्रल कांप्लेक्स / Central Complex, ट्रांबे / Trombay,

मुंबई / Mumbai - 400 085

दिसंबर/December 20, 2021

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: सीएचएसएस लाभार्थियों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति। Subject: Reimbursement of cost of COVID-19 vaccine to CHSS beneficiaries.

कृपया उक्त विषय पर पऊवि नोट सं. IRW-201(12)/15/2021/6936 दिनांकित 16/06/2021 तथा उसके बाद के कार्यालय ज्ञापन संख्या 201(12)/15/2021/IR&W/10141 दिनांकित 30/08/2021 का संदर्भ लें (प्रति संलग्न)।

Reference is invited to DAE Note No. IRW-201(12)/15/2021/6936 dated 16/06/2021 and subsequent OM No. 201(12)/15/2021/IR&W/10141 dated 30/08/2021 on the above cited subject (copy enclosed).

2. केंद्र में इस मामले की जांच की गई है तथा सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 08.06.2021 में यथा निर्धारित दरों के अनुसार विभाग द्वारा यथा अनुमोदित, कर्मचारियों/आश्रित सीएचएसएस लाभार्थियों के संबंध में, कोविड-19 वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति उचित समर्थक दस्तावेजों के जमा करने तथा किसी अन्य चिकित्सीय प्रतिपूर्ति के दौरान यथोल्लिखित समस्त निर्धारित पद्धतियों के अनुपालन के अधीन होगी। निर्धारित वैक्सीन दरों की कीमतें निम्नवत है:

The matter has been examined in this Centre and Competent Authority has decided to reimburse the cost of COVID-19 vaccine in respect of employees/dependent CHSS beneficiaries as approved by Department as per rates prescribed in the DH&FW OM dated 08/06/2021 subject to production of appropriate supporting documents and adhere to all prescribed procedures as is envisaged during any other medical reimbursement. The cost of vaccine rates prescribed are as under.

क्रम सं. Sr No.	वैक्सीन Vaccine	अधिकतम सीमा (रु.) Maximum ceiling (रु.)
1	कोविशील्ड/Covishield	780
2	कोवैक्सीन/Covaxin	1,410
3	स्पूतनिक V/Sputnik V	1,145

3. भापअ केंद्र/बाहरी स्थानों पर टीकाकरण अभियान के माध्यम से ली गई वैक्सीन की कीमत की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए, दावों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु आईस माड्यूल विकसित किया गया है। दावा प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

In order to facilitate the reimbursement of cost of vaccine as per the above approved rates expeditiously, AAIIS module has been developed for online submission of the claims in respect of vaccination done through Teekakaran Abhiyaan of BARC/outside places. The guidelines for claim submissions are as follows:

- a. सेवारत कर्मचारी क्रय एवं दावा प्रक्रिया के अनुसार, (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा COWIN पर जारी कोविड-19 वैक्सीन की पहली/दूसरी डोज के प्रमाणपत्र तथा (ii) नकद रसीद अपलोड करते हुए आईस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
 - Serving employees may apply online through AAIIS as per Purchase and Claim procedure by uploading (i) certificate of COVID-19 vaccination 1st / 2nd dose issued by the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi on COWIN and (ii) cash receipt.
- b. वे कर्मचारी जिन्होंने स्वैच्छिक विशेष टीकाकरण (टीकारण अभियान) अभियान के माध्यम से वैक्सीन ली है, क्रय एवं दावा प्रक्रिया के अनुसार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा COWIN पर जारी कोविड-19 वैक्सीन की पहली/दूसरी डोज के प्रमाणपत्र अपलोड करते हुए आईस के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेखा अनुभाग, भापअ केंद्र इस मामले में किसी नकद रसीद हेतु आग्रह नहीं करेगा क्योंकि वैक्सीन की कीमत की कटौती उनके वेतन एवं भत्तों में से पहले ही की जा चुकी है।

The employees who have availed vaccine through Voluntary Special Vaccination (Teekakaran Abhiyaan) drive shall apply online through AAIIS by uploading certificate of COVID-19 vaccination- 1st/2nd dose issued by the Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi on COWIN as per Purchase and Claim procedure. Accounts Section, BARC will not insist for any cash receipt in this regard as the cost of vaccine has already been deducted through their Pay and allowances.

- c. टीकाकरण की प्रतिपूर्ति हेतु दावा दिनांक 31.03.2022 को या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।
 The reimbursement of vaccination should be claimed on or before 31/03/2022.
- d. आईस माड्यूल का विवरण निम्नवत है : The details of AAIIS module are as follows:

<u>ऑनलाइन प्रक्रिया फ्लोचार्ट/ Online process flowchart</u>

कर्मचारी लॉगिन/Employee Login AAIIS(aaiis.barc.gov.in)

कर्मचारी स्व सेवाएं (ईएसएस)/Employee Self Services(ESS)

चिकित्सा बिल प्रतिपूर्ति/Medical bills Reimbursement

कोविड-19 वैक्सीन की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन Apply for reimbursement of COVID-19 vaccine

कर्मचारी कोविड-19 वैक्सीन व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु दावा करने के लिए निर्दिष्ट संगत अनुलग्नकों सहित आवेदन पत्र भरें Application form to be filled by employee, for claiming reimbursement of expenses on COVID-19 vaccine relevant enclosures specified therein.

2 of 3

स्थापना अनुभाग में संबंधित सहायक एवं सहायक कार्मिक अधिकारीगण Concerned Dealing Assistants and APOs in Establishment Section लाभार्थियों की अश्रितता प्रमाणित करने हेतु

for certifying the dependency of beneficiaries

संबंधित सहायक एवं सहायक लेखा अधिकारीगण, चिकित्सा लेखा अनुभाग
Concerned Dealing Assistants and AAO, Medical Accounts Section
नियमानुसार दावा के निपटान हेतु
for settlement of claim as per rule.

- 4. भापअ केंद्र के सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के सभी प्रशासन अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/ वरिष्ठ निजी सचिवों से अनुरोध है कि वे यह जानकारी अपने वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लायें। All AO-IIIs/APOs/Sr.PS in Groups/Divisions/Sections of BARC are requested to bring this to the notice of all the concerned employees in their Groups/Divisions/ Sections.
- 5. इसे आंतरिक वित्त सलाहकार, भापअ केंद्र की सहमति एवं नियंत्रक,भापअ केंद्र के अनुमोदन से जारी किया जाता है। This issues with the concurrence of IFA, BARC and approval of Controller, BARC.

उप स्थापना अधिकारी/Deputy Establishment Officer

वर्गों के निदेशक/सह निदेशक, नियंत्रक, भापअ केंद्र
Directors of Groups/Associate Directors of Groups/Controller, BARC
प्रभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष, भापअ केंद्र/Heads of Divisions/Sections in BARC
आंतरिक वित्त सलाहकार, भापअ केंद्र/IFA, BARC
वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रशासन अधिकारी-III/सहायक कार्मिक अधिकारी/वरिष्ठ निजी सचिव
AO-IIIs/APOs/Sr.Ps in Groups/Divisions/Sections.

प्रतिलिपि/Copy to: पऊवि की मुंबई स्थित सभी इकाइयों के प्रशासनिक प्रधान-सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। all administrative Heads of Mumbai based DAE units-for information and necessary action

Adol/d:\rajesh-21\pd\admn\circular-reimbursement of cost of covid-19 vaccine-final.docx/राजेश-प्रभात/20.12.2021